

(2) याह दोहो मत धर, भिन्नोलाति तीवरी पता-
पता लली वोटो पित्तवत् के पास कोहो बराना
बहुल हलवाय व जितना बहुल मध्यस्थः ।

हिंदू प्रथा प्रथा तीवरी अ भायके विरुद्ध
तिथिल सूट वलास ए के लिए वाद संस्थित किया है ।
आइओ इसी मुद्दे पर सुनने के प्रकाशन में
30 दिवस के भीतर वाद को सुनने के लिए
उपस्थित /भाजित होने के लिए समान किया
जाया है, आइया न्यायालय में खर्च या फिली ऐसे
जिसे (अभिप्रेत) जाया उपस्थित हो सकते हैं,
नौवसे समक अनुदेश दिते योगे हो जहां जो इस
वाद में संबंधित भीत सारवाचन को उत्तर दे
सकें । आइया यह निदेश भी दिया जाते है कि इस
दिन अपनी प्रतिक्रिया को लिखित रूप प्रस्तुत करें
और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आओ के
या शक्ति में है पेश कर प्र आपका प्रतिक्रिया
या मूरुआर में जाया व प्रविदाया आधारित हो,
और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहें
दो आओ केछो या फिर आप अपनी प्रतिक्रिया
या मूरुआर के जाये व प्रविदाये के सम्बंध में साथ
के साथ निम्न करत है तो ऐसी लगी दस्तावेज को
लिखित रूप के साथ उपलब्ध को जाने वाली
सूची में प्रेषित करें । आओ सूचित किया जाये
कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस
न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद को एक
पक्षीय सुनवाई कर उसके निराकरण आपकी
अनुपस्थिति में किया जायेगा । साह ही यह भी
सूचित किया जाते है कि यदि आप निराकरण
में पयस्थ के आधारम से करने में सक्षम है तो
मौलतरीन अधिकारी को अवगत करत है । यह आज
तारीख 13 नवंबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से
और न्यायालय को मुद्रा लगा कर दिया गया है ।

शुभम नीपा
प्रधान न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
वैदल जिला वैदल म.प्र.